उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)
(Scheduled Bank Owned by Government)

प्र.का./01/अं. व नि./2025-26/परिपत्र/460 दिनांक: 20.02.2026

परिपत्र सभी शाखाओं/कार्यालयों के लिए
प्रधान कार्यालय के अंकेक्षण एवं निरीक्षण विभाग
द्वारा जारी

विषय : बैंक की शाखाओं के संगामी लेखा परीक्षण(Concurrent Audit) कार्य हेतु हमारे बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड/स्केल III,IV व V की दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 की अवधि हेतु सेवायें लिया जाना।

हमारे बैंक की चिन्हित शाखाओं पर (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 अवधि हेतु) संगामी लेखा परीक्षण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड/स्केल III, IV व V की सेवायें लिए जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों (ग्रेड/स्केल III,IV व V) को सूचीबद्ध करने हेतु पात्रता एवं अन्य शर्तें निम्नवत हैं :–

पात्रता :-

- केवल दिनांक 31.12.2025 तक सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V आवेदन कर सकते हैं।
- सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V, जो अग्रिम कार्यक्षेत्र में पर्याप्त दक्षता रखते हों, Finacle System पर कार्य करने हेतु सक्षम हों एवं शाखा प्रबंधक के रूप में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव रखते हों, के आवेदन पर विचार किया जायेगा।
- पूर्वोक्त श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवानिवृति की तिथि से प्रथम 05 वर्षो के दौरान संगामी लेखा परीक्षण हेतु 65 वर्ष की आयु सीमा तक पात्र होंगे।
- पूर्वोक्त श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी संगामी लेखा परीक्षा कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम एवं आवंटित शाखा/शाखाओं पर आवागमन हेतु समर्थ हों।
- पूर्वोक्त श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी को उत्तर प्रदेश राज्य के किसी एक जनपद अथवा समीपवर्ती जनपद का निवासी होना चाहिए।
- पूर्व में अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement), सेवा से हटाये गए (Removal from service) या बर्खास्त (Dismissal) सेवानिवृत्त अधिकारी इस उद्देश्य के लिए अयोग्य / अपात्र माने जायेंगे।
- सेवानिवृत्त अधिकारी के पास laptop /Computer System की उपलब्धता आवश्यक है।
- 31.12.2025 को सेवानिवृत्त अधिकारी की उम्र 60 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक न हो।

पारिश्रमिक :- प्रतिमाह प्रति शाखा अनुमन्य पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत है :-

रु. 10 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 8,000/- प्रति शाखा प्रति माह
रु. 10 करोड़ से अधिक किन्तु रु. 20 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 9,000/- प्रति शाखा प्रति माह
रु. 20 करोड़ से अधिक अग्रिम अवशेष एवं जिला मुख्यालय की शाखायें	रु.10,000/- प्रति शाखा प्रति माह

- अग्रिम अवशेष की सीमा के आंकलन हेतु आवंटित शाखा का विगत वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर (अगले वित्तीय वर्ष हेतु) को अग्रिम अवशेष आधार माना जायेगा।
- उक्त धनराशि पर देय जी.एस.टी. का नियमानुसार भुगतान किया जाना अनुमन्य है।

प्रति माह यात्रा व्यय का भुगतान निम्नवत विवरण के अनुसार किया जायेगा –

जिला मुख्यालय की शाखायें	रु. 500/- प्रति शाखा प्रति माह
जिला मुख्यालय से 25 कि.मी. दूरी तक की शाखायें	रु. 1,000/- प्रति शाखा प्रति माह
जिला मुख्यालय से 25 कि.मी. से अधिक परन्तु 50 कि.मी. तक की शाखायें	रु. 1,500/- प्रति शाखा प्रति माह
जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. से अधिक दूरी की शाखायें	रु. 2000/- प्रति शाखा प्रति माह

- उपरोक्त पारिश्रमिक / यात्रा व्यय में, सभी आउट आफ पॉकेट व्यय, सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा आवंटित शाखा और / अथवा नियंत्रक कार्यालय पर भ्रमण और / अथवा आवश्यकता / अनुरोध पर संगामी लेखा परीक्षण सम्बन्धी बैठको में भाग लेने हेतु किया गया स्थानीय व्यय सम्मिलित है।
- बैंक द्वारा वित्तपोषित ऋणी की परियोजना / यूनिट / गोदाम सहित बैंक के पक्ष में प्रभारित प्रतिभूतियों के सत्यापन हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी के भ्रमण की व्यवस्था संगामी लेखा परीक्षण हेतु आवंटित शाखा द्वारा की जाएगी।
- संगामी लेखा परीक्षण के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा प्रति माह न्यूनतम पाँच (05) बार भ्रमण करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि समवर्ती लेखा परीक्षा के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक भ्रमण अवश्य किया जाए, जिसके लिए पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा।
- मासिक पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान का अनुरोध, सम्बंधित मास हेतु संगामी लेखा परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रेषित किया जाना चाहिए।
- संगामी लेखा परीक्षण पारिश्रमिक हेतु पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान सम्बंधित/ सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संगामी लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत ही किया जायेगा।

कार्यदायित्व:-

- संगामी लेखा परीक्षा करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी का मुख्य कार्य बैंक द्वारा लेनदेन के साथ – साथ आंतरिक जांच और अन्य सत्यापनों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के प्रयासों में संपूरक की भूमिका निभाना है।
- संगामी लेखा परीक्षा का दायरा प्रयाप्त रूप से बड़ा होना चाहिए, जिससे उसमें नकदी की जांच, जमाराशियों, प्रतिभूतियों की सेफ कस्टडी, निवेशों, अतिदेय बिलों, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग, विविध और उच्चंत खाते, अंतर शाखा मिलान, समाशोधन भिन्नताओं, ऋणपत्र और गारंटी जैसे तुलन पत्र से इतर मदें, ट्रेजरी कार्य और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय जैसे धोखाधड़ी की सम्भावना वाले क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र शामिल हो सकें।
- संगामी लेखा परीक्षा का विस्तृत दायरा स्पष्ट और समान रूप से निर्धारित कर निम्नवत रुटीन परिचालानात्मक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जिनसे सम्बंधित कवरेज की बिन्दुवार मदों का विवरण शाखा आवंटन के साथ सेवानिवृत्त अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा :-

• Cash	• KYC Compliance & Re-compliance	• Remittances/Bills for Collection
• Opening of Accounts	• Security Forms	• Issue of Chequebook
• Deposits	• Advances	• Letter of Credit/Bank Guarantees
• Housekeeping	• Verification of Credit/Debit Card	• Dormant A/cs activation
• Visit of Aadhar Centre	• Visit at VIE/CSP Centre	• Clearing & Others

अन्य शर्ते :-

- संगामी लेखा परीक्षण हेतु पात्र सेवानिवृत्त अधिकारियों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा और अंतिम रूप से चयनित सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध (empannel) किये जाने के उपरांत संगामी लेखा परीक्षण हेतु शाखा का आवंटन किया जायेगा।
- सेवाकाल के दौरान जिन शाखाओं पर सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा कार्य किया गया है, उन शाखाओं का आवंटन संगामी लेखा परीक्षा हेतु नहीं किया जायेगा।
- संगामी लेखा परीक्षण हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों का सूचीबद्ध किया जाना (Empanelment) और शाखा आवंटन सामान्यतः एक वर्ष के लिए किया जायेगा और आवंटित शाखा में परिवर्तन सहित या परिवर्तन के बिना अवधि विस्तारण संगामी लेखा परीक्षा कार्य सम्बन्धी संतोषजनक कार्यनिष्पादन (Satisfactory performance) के दृष्टिगत बैंक के एकल विवेकाधिकार (sole discretion) के अधीन होगा।
- संगामी लेखा परीक्षण सम्बन्धी सेवानिवृत्त अधिकारी के कार्य निष्पादन की समीक्षा आवंटित शाखा से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी।

- संगामी लेखा परीक्षण हेतु आवंटित शाखा पर हो रहे लेनदेन में material ommission अथवा commission के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सेवानिवृत्त अधिकारी से बैंक के सर्वोत्तम हित में संगामी लेखा परीक्षण किये जाने की अपेक्षा की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनके द्वारा संगामी लेखा परीक्षा के दौरान किये गए अवलोकन (observation) अस्पष्ट / विरोधाभासी (ambiguous) और / अथवा बैंक के नीतिगत मार्ग निर्देशों के विपरीत न हों तथा बैंकिंग में व्यावहारिक दृष्टिकोण को अनदेखा न किया गया हो।
- संगामी लेखा परीक्षण करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी के कार्य में किसी प्रकार का गंभीर ommission या commission एवं संगामी लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य निष्पादन और / अथवा तत्संबंधी रिपोर्ट की गुणवत्ता संतोषजनक (up to mark) न पाए जाने पर सेवानिवृत्त अधिकारी का चयन किसी भी समय समाप्त किये जाने का एकल विवेकाधिकार (sole discretion) बैंक के पक्ष में सुरक्षित होगा।

संगामी लेखा परीक्षण कार्य करने के इच्छुक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल - III, IV व V बैंक की Website के Career Option पर उपलब्ध संगामी लेखा परीक्षण एम्पेनलमेंट लिंक पर क्लिक कर आवेदन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 21.02.2026 व अंतिम तिथि 07.03.2026 है। निर्धारित तिथि 07.03.2026 के बाद आवेदित पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। केवल हमारे वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, अन्य कोई माध्यम यथा ईमेल, Whatsapp, डाक/कूरियर, हार्ड कॉपी इत्यादि के माध्यम से कोई भी आवेदन (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 अवधि हेतु) स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूचीबद्ध (empanelment) दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 की अवधि हेतु किया जायेगा। तथापि, बैंक उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व असंतोषजनक कार्य-निष्पादन से संबंधित कारणों के आधार पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संगामी लेखा परीक्षण हेतु सेवानिवृत्त आधिकारियों को सूचीबद्ध (empanelment) सम्बन्धी साक्षात्कार की सूचना अलग से दी जाएगी। अंतिम रूप से चयन उपरांत सूचीबद्ध (empannel) सेवानिवृत्त अधिकारियों को चयन सम्बन्धी पत्र सेवा शर्तों सहित जारी किया जायेगा।

सभी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयो से अनुरोध है कि इस परिपत्र / विषयवस्तु को हमारे बैंक के सभी सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V की जानकारी में लायें एवं शाखा/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें। शाखाओं / कार्यालयों पर कार्यरत कार्मिकों के संज्ञान में भी इस परिपत्रों की विषयवस्तु लायी जाये जिससे वे अपने संपर्क में आने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को अवगत करा सकें और अधिकाधिक / इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V तत्संबंधी आवेदन कर सकें।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)
महाप्रबंधक